रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 1993/चैत्र 8, 1915
No. 191] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 1993/CHAITRA 8, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1993

का.आ. 213(अ) :—यतः रूरल सेन्टर फार ह्यूमन इन्ट्रेस्ट (रूची) शालना, राजगढ़-173101, सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश, नामक संस्था को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(1) के अधीन, दिनांक 24 अगस्त, 1990 की अधिसूचना के तहत, कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिये पूर्व अनुमति श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया था।

और यतः उक्त रूरल सेन्टर फार ह्यूमन इन्ट्रेस्ट (रूची), शालना, राजगढ़-173101, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत जारी किये गये उक्त आदेशों को रद्द करने के लिये अभ्यावेदन किया है।

अतः, अब, अभ्यावेदन पर विचार करने और उक्त रूरल सेन्टर फार ह्यूमन इन्ट्रेस्ट (रूची) शालना, राजगढ़-173101, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन 24-8-1990 को जारी किये गये आदेश एतद्द्वारा रद्द किए जाते है।

[सं. II/21022/8(6)/90-एफ.सी.आर.ए-I]
वी. एस. एलावाडी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1993

S.O. 213(E).—Whereas he association Rural Centre for Human Interests (Ruchi), Shalana, Rajgarh-173101, Sirmaur District, Himachal Pradesh, was placed under prior permission category under section 6(1) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, for acceptance of any foreign contribution vide notification dated 24th August, 1990.

And whereas the said Rural Centre for Human Interests (Ruchi), Shalana, Rajgarh-173101, Sirmaur District, Himachal Pradesh has represented for revocation of the said orders issued under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

Now, therefore, in consideration of the representation and the remedial action taken by the said Rural Centre for Human Interests (Ruchi), Shalana, Rajgarh-173101, Sirmaur District, Himachal Pradesh, orders issued on 24-8-1990 under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act are hereby revoked.

[No. II|21022|8(6)|90-FCRA-I]
V. S. ALLAWADI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993